FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भागीरथमल पुत्र बोदूराम नि0 पृथ्वीपुरा बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर–82/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुआ
11-08-2025	प्रार्थी भागीरथमल यादव पुत्र बोदूराम जाति यादव नि0 पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 74, 75, 78, 79 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5400 हैक्टर तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर इसके पुराने खसरा नम्बर 52 मि. रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा तन् ग्राम बागरियावास है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी भागीरथ मल यादव के पिता का नाम छोटूराम गलत दर्ज है एंव प्रार्थी के सगे भाई मृत्तक नाथूराम पुत्र बोदूराम का नाम नानूराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम भागीरथ मल यादव पुत्र बोदूराम है एंव प्रार्थी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात् आधार कार्ड आदि में भी भागीरथ मल यादव पुत्र बोदूराम ही अंकित है एंव वादी के सगे भाई का वास्तविक नाम नाथूराम पुत्र बोदूराम ही है एंव उसके आधार कार्ड में भी नाथूराम पुत्र बोदूराम ही है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश किया है। जिसको जॉच हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मूल ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का बागरियावास से जॉच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का बागरियावास की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2079/भू.अ./2025 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम बागरियावास के भूमि खसरा संख्या 52 में नानूराम,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म [illegible] जज
	भागीरथ पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/4 का विक्रय पत्र दिनांक27.08.1975 को खरीद की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 17.11.1975 द्वारा स्वीकृत किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2030–2033, 2034–2037 व मिसल बन्दोबस्त 2038 में प्रार्थी का नाम नानूराम, भागीरथ पुत्र बोदूराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसके बाद की जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम नानूराम, भागीरथ पुत्र छोटूराम गलत दर्ज हो गया जो आदिनांक तक चला आ रहा है। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर एंव दस्तावेजात में नानूराम पिता छोटूराम का सही नाम नाथूराम पुत्र बोदूराम होना अपनी रिपोर्ट में बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम भागीरथ पुत्र बोदूराम, नानूराम पुत्र बोदूराम जाति यादव निवासी पृथ्वीपुरा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम भागीरथ पुत्र छोटूराम, नानूराम पुत्र छोटूराम जाति यादव निवासी पृथ्वीपुरा के स्थान पर भागीरथ पुत्र बोदूराम, नानूराम पुत्र बोदूराम जाति यादव निवासी पृथ्वीपुरा दुरूस्त किये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का बागरियावास व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बागरियावास के पुराने भूमि खसरा नम्बर 52 में खातेदार कालूराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ढाणी नाडी वाली तन् बागरियावास ने अपने 1/4 हिस्सा का बैचान नानूराम, भागीरथ पुत्रान बोदूराम निवासी ढाणी कुरबली तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय लेख के माध्यम से बैचान किया जाना तथा [illegible] नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 17.11.1975 द्वारा [illegible] खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना रिकार्ड से प्रकट होता [illegible] था इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033, 2034 से 2037 व मिसल बन्दोबस्त 2038 में भी प्रार्थीगण का नाम नानूराम, भागीरथ पुत्रगण बोदूराम जाति यादव सही इन्द्राज होना प्रकट होता है तथा इसके बाद की जमाबन्दियों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रार्थीगण का नाम नानूराम, भागीरथ पुत्रगण बोदूराम के बजाय नानूराम, भागीरथ पुत्रगण छोटूराम गलत दर्ज होकर अद्यदिनांक तक चला आना रिकार्ड से प्रकट होता है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थीगण का सही नाम नानूराम, भागीरथ पुत्रगण बोदूराम जाति यादव निवासी तन ग्राम पृथ्वीपुरा अंकित होना प्रकट होता है। वहीं जाँच से प्रार्थी के भाई नानूराम का सही नाम नाथूराम होना प्रकट होता है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 74, 75, 78, 79 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज प्रार्थी व उसके भाई नाथूराम का नाम नानूराम, भागीरथ पुत्रगण छोटूराम जाति यादव निवासी ढाणी कुरबली तन पृथ्वीपुरा के स्थान पर भागीरथ, नाथूराम उर्फ नानूराम पुत्रगण बोदूराम जाति यादव निवासी ढाणी कुरबली तन पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय [illegible] 2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)